

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :-17 तक0 को0 - 312/2018.....10233

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0  
अपर मुख्य सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,  
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,  
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,  
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,  
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 01/7/2020

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के समीक्षा के संबंध में।

प्रसंग :- निदेशालय का पत्रांक-408 दिनांक-28.02.2020, पत्रांक- 10038 दिनांक-24.06.2020  
एवं पत्रांक-10145 दिनांक-04.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्रों का स्मरण किया जाय। आप अवगत है कि बिहार राज्य में भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य सरकार के प्राथमिकता में है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को करने के लिए संविदा आधारित पदाधिकारियों/कर्मियों के नियोजन एवं प्रशिक्षण का कार्य संपन्न करने के पश्चात् उन्हें आपके जिलों में शिविरों के समरूप पदस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है, जो जुलाई, 2020 के अंत तक संपन्न कर ली जाएगी।

प्रसंगिक पत्रों के अलावा निदेशालय स्तर से विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के संदर्भ में पूर्व में भी विभिन्न निदेश निर्गत किये गए हैं। साथ ही सर्वेक्षण कार्य के संदर्भ में मार्गदर्शिका भाग-1 आपको उपलब्ध कराया गया है।

विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन अपने साथ लैपटॉप एवं स्मार्ट फोन (इंटरनेट सुविधा सहित) सर्वे कार्य में रखेंगे। साथ ही सभी प्रकार की डाटा इंट्री संबंधित कर्मी द्वारा भी की जाएगी। इसके लिए इन सभी कर्मियों को लॉग इन पासवर्ड निदेशालय स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य रूप से सर्वेक्षण कार्य में चार प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है :-

1. कार्मिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर - डाटा इंट्री जिला स्तर से की जानी है।
2. भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर - डाटा इंट्री सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो व अमीन के स्तर से।
3. भू-नक्शा सॉफ्टवेयर - डाटा इंट्री हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से की जानी है।
4. GCN सॉफ्टवेयर - डाटा इंट्री हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अधिनियम एवं नियमावली अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से ससमय संपन्न हो इसके लिए आवश्यक है कि इस कार्य के लिए जिला बंदोबस्त कार्यालय सहित शिविरों में हो रहे कार्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति की समीक्षा प्रारंभ से की जाए और निरंतर अंतराल पर होती रहे।

उल्लेखनीय है कि अगस्त माह में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में Video Conferencing माध्यम से आपके जिले में हो रहे भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। इस आलोक में यह अपेक्षित है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के विभिन्न आयामों की समीक्षा सहित निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चरणवद्ध तरीके से अविलंब एवं ससमय समीक्षा की जाए:-

**प्रथम समीक्षा (तिथि 13 जुलाई, 2020 तक) :-**

1. जिला बंदोबस्त कार्यालय के लिए भवन (चार कमरे एवं एक बड़ा हॉल सहित)।
2. जिला बंदोबस्त कार्यालय में <sup>बुनियादी</sup> सुविधाएँ यथा - बिजली, पानी, शौचालय, इंटरनेट आदि की उपलब्धता।
3. जिला बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित नियमित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक, परिचारी, अमीन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं संविदा अमीन के संख्या की समीक्षा सहित उन्हें कार्य आवंटन।
4. जिला बंदोबस्त कार्यालय में आवश्यक उपस्कर, आलमीरा कुर्सी, टेबुल, रैक, ग्लास टेबुल, तख्ती, तिपाई, टेप, स्कैल, गुनटर चेन, कम्प्यूटर इत्यादि की उपलब्धता।
5. शिविर कार्यालय के लिए भवन की उपलब्धता एवं आवागमन की दृष्टिकोण से सड़क मार्ग से सुविधाजनक रूप से जुड़ा होना। अंचलवार शिविरों की संख्या व सम्बद्ध मौजों की सूची आपको पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गयी है।
6. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यालय की जिला मुख्यालय में स्थापना।
7. हवाई एजेंसी द्वारा अपने जिला कार्यालय में लैब की स्थापना तथा उपकरणों यथा - ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0 की प्रयाप्त संख्या में व्यवस्था एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कर्मियों यथा ई0टी0एस0 ऑपरेटरों की व्यवस्था किया जाना।
8. हवाई एजेंसी द्वारा प्राईमरी एवं सेकेन्ड्री कन्ट्रोल प्वाइन्ट बनाया जाना तथा इन प्वाइन्टों के स्थान की समीक्षा तथा इसके सुरक्षा की व्यवस्था।
9. जिला अंतर्गत शिविरवार राजस्व ग्रामों के कैडस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी मानचित्र का बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से आपूर्ति की स्थिति।
10. जिला में मानचित्र उपलब्धता के लिए लगाये गए प्लॉटर की स्थिति।
11. जिले के सभी राजस्व ग्रामों के संपुष्ट खतियानों की उपलब्धता की स्थिति।
12. जिले के असर्वेक्षित ग्रामों के संदर्भ में समीक्षा।
13. जिला बंदोबस्त कार्यालय में जिले के राजस्व ग्रामों के अनुपलब्ध मानचित्र एवं खतियान के संबंध में पूर्व में निर्गत निदेशों के आलोक में की गयी कार्रवाई, इसकी उपलब्धता या वैकल्पिक व्यवस्था की समीक्षा।
14. जिला स्तर के सभी विभागों के सरकारी भूमि की सूची तैयार करने हेतु उक्त विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक की समीक्षा एवं विभिन्न विभागों द्वारा अपनी भूमि के संबंध में तैयारी।
15. जिला बंदोबस्त कार्यालय को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्र की स्थिति (गुलजारबाग से आवश्यकतानुसार प्रपत्र जिला स्तर से कर्मी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर प्राप्त किया जाना है)।

क्र०सं०	प्रपत्र का नाम	विषय
1.	प्रपत्र -2	रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि का स्वघोषणा प्रपत्र
2.	प्रपत्र-3	स्वघोषणा के विरुद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन का प्रमाण पत्र की पंजी
3.	प्रपत्र - 1(i)	वंशावली प्रपत्र
4.	प्रपत्र - 3(ii)	यादाश्त प्रपत्र
5.	प्रपत्र - 4	गैर सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी
6.	प्रपत्र - 5	खतियानी विवरणी की पंजी
7.	प्रपत्र - 6	खेसरा पंजी की पंजी
8.	प्रपत्र - 8	दावा/आक्षेप का प्रपत्र
9.	प्रपत्र - 9	दावा/आक्षेपों की पावती प्रपत्र
10.	प्रपत्र - 10	दावा/आक्षेपों की पंजी
11.	प्रपत्र - 11	सूचना का प्रपत्र
12.	प्रपत्र - 14	दावा/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र
13.	प्रपत्र - 15	प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए दावों/आक्षेपों की पंजी
14.	प्रपत्र - 16	दावा/आक्षेपों की पावती प्रपत्र
15.	प्रपत्र - 17	सूचना का प्रपत्र
16.	अमीन डायरी	अमीन डायरी

16. निदेशालय द्वारा नवनियोजित कर्मियों के जिला स्तर पर पदस्थापन पश्चात् शिविरवार प्रतिनियुक्ति से संबंधित Online Personnel Management Software को उपयोग में लाने हेतु कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को नामित करते हुए प्रतिनियुक्ति की वृहत् तैयारी किया जाना।

#### द्वितीय समीक्षा (तिथि 05 अगस्त, 2020 तक) :-

- नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के आपके जिले में पदस्थापन पश्चात उसके संख्या के आधार पर पूर्व में दिये गए निदेश के अनुरूप शिविरों के गठन एवं कर्मियों के प्रतिनियुक्ति की समीक्षा।
- शिविर कार्यालय में बुनियादी सुविधा यथा - बिजली, पानी, शौचालय आदि की उपलब्धता।
- शिविर कार्यालय में उपस्कर, आलमीरा कुर्सी, टेबुल रैक, ग्लास, टेबुल, तखति, तिपाई, टेप, स्कैल, गन्टर चेन इत्यादि की उपलब्धता।
- विशेष सर्वेक्षण अमीनों को आवश्यक सामग्री यथा तख्ती, तिपाई, टेप, स्कैल, कैलकुलेटर इत्यादि उपलब्ध कराने की स्थिति।
- जिले में पदस्थापित किये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीनों का हवाई एजेंसी के द्वारा आपूरित ई0टी0एस0 एवं डी0जी0पी0एस0 उपकरण एवं ऑपरेटरों के साथ संबद्ध कर क्षेत्र में कार्य करने संबंधी उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में पूर्व में निदेश दिया गया है। इस कार्य को कर लिये जाने के संबंध में समीक्षा।
- नियमावली के नियम 4 (1) अंतर्गत प्रपत्र-1 में राजस्व ग्राम का उद्घोषणा किया जाना।
- नियमावली के नियम 8 अंतर्गत खानापूरी दल का गठन किया जाना।
- विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराए गए सरकारी भूमि की विवरणी, जमाबंदी पंजी की विवरणी, निष्पादित दाखिल-खारिज वादों एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने की स्थिति।

9. अंचल कार्यालयों द्वारा बन्दोबस्त की गई भूमि की विवरणी शिविर कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा।
10. शिविरों में हो रहे कार्यों की निरंतर समीक्षा हेतु जिला एवं अनुमंडल स्तर से पदाधिकारियों को नामित किया जाना।

तृतीय समीक्षा (तिथि 14 अगस्त, 2020 तक) :-

1. जिला एवं अंचल स्तर पर सर्वेक्षण कार्यों की प्रचार-प्रसार।
2. राजस्व ग्राम के स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन।
3. नियमावली के नियम 9 (1) अंतर्गत गत अधिकार अभिलेख से प्रपत्र-5 खतियानी विवरणी तैयार किया जाना।
4. नियमावली के नियम 6 (1) अंतर्गत स्वघोषणा प्रपत्र-2 एवं वंशावली प्रपत्र 3 (1) का संग्रह किया जाना।
5. हवाई एजेंसी सर्वेक्षण द्वारा ग्राम त्रीसीमाना निर्धारण/मोन्यूमेंटेशन/ग्राम सीमा सत्यापन किया जाना- तत्पश्चात् सर्वे मानचित्र के आपूर्ति की समीक्षा।
6. जिला एवं अनुमंडल स्तर के शिविर भ्रमण कर कार्य की समीक्षा हेतु जिला स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं के अतिरिक्त बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली के अधीन पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका एवं पत्र आदि के आलोक में निर्धारित तिथियों के अंदर वृहत समीक्षा की जाए एवं समीक्षा पश्चात् कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पटना, दिनांक 9/8/2020

ज्ञापांक :- 17 तक0 को0 - 312/2018...10233

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पटना, दिनांक 9/8/2020

ज्ञापांक :- 17 तक0 को0 - 312/2018...10233

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, कोशी प्रमंडल, पूर्णियाँ प्रमंडल, मुंगेर, भागलपुर प्रमंडल, गया प्रमंडल, पटना प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पटना, दिनांक 9/8/2020

ज्ञापांक :- 17 तक0 को0 - 312/2018...10233

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग